राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 12090/2018

जयपुर टेक्सवीविंग पार्क लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी है, जिसका रेजि, औद्योगिक क्षेत्र, सिलोरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर 305 801 भारत, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री चंद्र प्रकाश माहेश्वरी के माध्यम से है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ सचिव के माध्यम से, कपडा मंत्रालय, उद्योग भवन नई दिल्ली 110011।

2. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट संख्या-22, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई- 400051 में अपने सीईओ के माध्यम से है।

3. आईएल एंड एफएस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर्स लिमिटेड, इसका कार्यालय 498, करुमुट्टू सेंटर, साउथ विन, सलाई, नंदनम, चेन्नई 35 में अपने सीईओ के माध्यम से है।

4. विस्ट्रा आईटीसीएल आई लिमिटेड जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट संख्या सी-22 जी ब्लॉक, 7 वीं मंजिल, बांदा-कुर्ला कॉम्पलेक्स सेंटर, प्लॉट संख्या सी-22 जी ब्लॉक, 7 वीं मंजिल, बांदा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांदा पूर्व, मुंबई 400051 अपने अधिकृत अधिकारी के माध्यम से है।

5. निदेशक, कपड़ा आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय सी-97, प्रथम तल, सेक्टर-2 नोएडा 201301।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता गण की ओर से	:	श्री अर्चित बोहरा, सुश्री लिपि गर्ग और सुश्री आस्था सिंघल के साथ, वी.सी. के माध्यम से।
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री एच.पी. कर, वी.सी. के माध्यम से साथ श्री मनीष के. शर्मा, वीसी सुश्री शालिनी श्योराण के माध्यम से, वी.सी. के माध्यम से।

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

निर्णय/आदेश

रिपोर्टेबल

सुरक्षित करने की तारीख 04/02/2022

उच्चारित करने की तारीख 09/03/2022

1. वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में इसे "सरफेसी अधिनियम, 2002" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 13(2) के तहत दिनांक 31.05.2017 के नोटिस साथ ही सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) दिनांक 09.03.2018 के तहत नोटिस और कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 12.03.2009 के मंजूरी-पत्र के नियमों और शर्तों के उल्लंघन और अनुच्छेदों के तहत निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए नोटिस से व्यथित होकर भारत के संविधान की धारा 14, 19 और 300क होकर वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है;

"अतः, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है:
(ए) प्रत्यर्थी से कार्यवाही का संपूर्ण रिकॉर्ड मंगाना;
(बी) प्रत्यर्थीगण की संपूर्ण आक्षेपित कार्रवाई की घोषणा करें, और

धारा 13 के तहत नोटिस दें (2) सरफेसी अधिनियम दिनांक 31.05.2017 को मनमाना, गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित किया जाए और अपास्त कर दिया जाए (अनुलग्नक-4);

(सी) प्रत्यर्थीगण की संपूर्ण आक्षेपित कार्रवाई और सरफेसी अधिनियम दिनांक 09.03.2018 की धारा 13(4) के तहत नोटिस को मनमाना, गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करें और अपास्त कर दें (अनुलग्नक-20);

(डी) सरफेसी अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण द्वारा शुरू की गई पूरी कार्रवाई को अवैध, विकृत, असंवैधानिक और शुरू से ही शून्य घोषित और अपास्त कर दें;

(ई) प्रत्यर्थी संख्या को निर्देशित करें। 1 और 5 मामले में हस्तक्षेप करें और 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के पहले टेक्सटाइल पार्क की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानून के अनुसार आवश्यक और उचित कार्रवाई करें;

(एफ) वैकल्पिक रूप से, यह माननीय न्यायालय उन सदस्यों की श्रेणियों को विभाजित करने के लिए वाणिज्यिक कानूनों और लेनदेन की समझ रखने वाले एक कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर सकता है जो राशि का भुगतान करने के इच्छुक हैं, जिन्होंने पूरी राशि का भुगतान किया है और आगे जिन्होंने नहीं किया है राशि का भुगतान कर दिया गया है और आगे राशि की वसूली उन सदस्यों से की जाएगी जिन्होंने अपने संबंधित शेडों का निपटान करके राशि का भुगतान नहीं किया है और उसके बाद किसी भी बकाया राशि को सामान्य क्षेत्र और परियोजना में ऐसे किसी भी अन्य क्षेत्र का निपटान करके वसूल किया जाएगा। जो चालू नहीं है और औद्योगिक उपयोग में नहीं लाया जाता है।

कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित माना जा सकता है, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया जा सकता है।"

2. मामले के तथ्य:

(i) भारत संघ के कपड़ा मंत्रालय ने वैश्विक विकास से निपटने के लिए पूरे भारत में एकीकृत कपड़ा पार्कों की योजना शुरू की। इस संबंध में, 16.09.2005 को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एकीकृत टेक्सटाइल पार्क के विकास के लिए विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ एक समझौता किया।

(ii) 21.09.2005 को, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओए) किया और याचिकाकर्ता की परियोजना को 25.11.2005 को परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया और रीको द्वारा 99 वर्ष की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटन-पत्र और पट्टा विलेख निष्पादित किया गया।

(iii) 18.09.2006 को, व्यक्तियों/न्यायिक व्यक्तियों ने शेयर सदस्यता समझौते के माध्यम से उक्त पार्क की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। 23.05.2008 और 27.02.2012 को, सुरक्षा ट्रस्टी अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 ने 27.02.2012 को निष्पादित संशोधन सुरक्षा ट्रस्टी समझौते के वित्तपोषण के संदर्भ में उक्त भूमि पर सुरक्षा हित बनाने और बनाए रखने के लिए एक समझौता किया।

(iv) परियोजना के विकास के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 के माध्यम से याचिकाकर्ता और 15 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संघ के बीच सामान्य ऋण समझौता दिनांक 23.05.2012 को दर्ज किया गया था।

(v) 12.03.2009 को कपड़ा मंत्रालय द्वारा याचिकाकर्ता को सहायता अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने का मंजूरी-पत्र जारी किया गया था। डिफ़ॉल्ट के कारण, 02.02.2016 को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता कंपनी के सदस्य जो ऋण सुविधा लेखे में अपने बकाया और संबंधित शेयरों को चुकाने का इरादा रखते हैं, उनकी संबंधित इकाइयों को दायरे से बाहर कर दिया जाए और भविष्य में वसूली से मुक्त कर दिया जाए।

(vi) 04.05.2017 को, याचिकाकर्ता को सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत कंसोर्टियम बैंकों में से एक अर्थात इंडियन बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा से 1,66,12,493/- रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया था। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संघ द्वारा प्रदान किए गए ऋण का हिस्सा था।

(vii) 31.05.2017 को प्रत्यर्थी संख्या 4 ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस के आलोक में दिनांक 04.05.2017 को याचिकाकर्ता और सदस्यों के लिए संपूर्ण भूखंड के संबंध में 19,23,68,956/-रुपये की पूरी देनदारी जमा करने का निर्देश दिया।

(viii) 25.07.2017 को याचिकाकर्ता ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(3क) के संदर्भ में धारा 13(2) के तहत नोटिस के उत्तर में अपनी वैधानिक आपत्तियां दर्ज कीं।

(ix) प्रत्यर्थी संख्या 5 ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संघ और सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत शुरू की गई

कार्रवाई पर न तो आपत्तियों का उत्तर दिया और न ही मामले में हस्तक्षेप किया।

(x) याचिकाकर्ता ने समानांतर रूप से एक इच्छुक पक्ष होने के नाते मामले में हस्तक्षेप करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 16.08.2017 को एक अभ्यावेदन दायर किया, लेकिन सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत शुरू की गई वसूली में कोई हस्तक्षेप प्रदान नहीं किया गया।

(xi) 28.02.2018 को, प्रत्यर्थी संख्या 4 ने एक नोटिस जारी किया जो 09.03.2018 को पूरी जमीन पर कब्जा करने के लिए याचिकाकर्ता को दिया गया था, याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं कि नोटिस अस्पष्ट है और ऐसा नहीं है उस क्षेत्र का खुलासा करें जिस पर वे कब्जा करना चाहते हैं और उक्त पत्र अधिकार क्षेत्र के बिना है और कानून में इसकी कोई वैधता नहीं है।

(xii) प्रत्यर्थी संख्या 4 ने 08.03.2018 को उक्त पत्र/अभ्यावेदन का उत्तर दिया और याचिकाकर्ता की दलीलों को अपास्त कर दिया और 09.03.2018 को पूरे पार्क, शेड पर न केवल याचिकाकर्ता बल्कि सदस्यों के शेड पर भी प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया।

(xiii) 17.04.2018 को, याचिकाकर्ता को बैंकों और ऋणदाताओं के संघ के सदस्यों में से एक कॉरपोरेशन बैंक, नई दिल्ली शाखा से सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (3) के तहत सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ अपनी देनदारियां जमा करने के लिए एक विधिक नोटिस मिला।

(xiv) इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान रिट याचिका सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) और धारा 13(4) के तहत नोटिस के संदर्भ में प्रत्यर्थीगण की आक्षेपित कार्रवाई को चुनौती देने वाली संदर्भित प्रार्थनाओं (सुप्रा.) और सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रत्यर्थीगण के पूरे कृत्य को अवैध, विकृत और असंवैधानिक घोषित करने के लिए और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 5 को मामले में हस्तक्षेप करने या सीमांकन के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के विकल्प के लिए निर्देश देने के लिए दायर गई है।

3. उक्त रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने, अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण, 01/06/2018 को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की और किसी न किसी आधार दिनांक 18/07/2018 पर स्थगन आदेश जारी रखा गया।

4. इस पृष्ठभूमि में, दोनों पक्षों के अनुरोध पर आदेश-पत्र दिनांक 31.01.2022 के तहत, मामले पर 04.02.2022 को अंतिम बहस की गई को क्योंकि मामला सरफेसी अधिनियम, 2002 से संबंधित था, वसूली की कार्यवाही रुकी हुई थी और तत्काल थी दोनों पक्षों द्वारा दावा किया गया था।

5. इस न्यायालय ने संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलें सुनीं, लिखित प्रस्तुतियाँ, रिट याचिका के रिकॉर्ड और बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार किया।

6. प्रत्यर्थीगण द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि सरफेसी अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है और सरफेसी अधिनियम, 2002 अधिनियम की धारा 17 के तहत वैकल्पिक संव्यवहार प्रदान करता है और इसकी धारा 35 के संदर्भ में एक अतिव्यापी अनुप्रयोग है। सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 17 और 35 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं;

> *"17. **सुरक्षित ऋणों की वसूली के उपायों के विरूद्ध आवेदन**-(1) कोई भी व्यक्ति (उधारकर्ता सहित), सुरक्षित ऋणदाता या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी उपाय से व्यथित है, इस अध्याय में, 1 [ऐसी फीस के साथ आवेदन कर सकता है, जो निर्धारित किया जा सकता है], उस तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, जिस दिन ऐसा उपाय किया गया था, मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले ऋण वसूली न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकता है:*
>
> *[बशर्ते कि उधारकर्ता और उधारकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन करने के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया जा सके।]*
>
> *[स्पष्टीकरण.-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि सुरक्षित ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को उसके अभ्यावेदन या आपत्ति को स्वीकार नहीं करने या कारणों के संचार के चरण में सुरक्षित ऋणदाता की संभावित कार्रवाई के कारणों का संचार किया जाता है। उधारकर्ता व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) को धारा 17 की उपधारा (1) के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण में आवेदन करने का अधिकार नहीं देगा।]*
>
> *(1क) उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर-*
>
> *क) कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता है;*
>
> *ख) जहां सुरक्षित संपत्ति स्थित है; या*
>
> *ग) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की शाखा या कोई अन्य कार्यालय एक खाता रखता है जिसमें दावा किया गया ऋण फिलहाल*

बकाया है।]

[(2) ऋण वसूली न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि सुरक्षा लागू करने के लिए सुरक्षित ऋणदाता द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई भी उपाय इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार है या नहीं .

[(3) यदि, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई भी उपाय किया गया है। सुरक्षित लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं हैं, और उधारकर्ता या अन्य पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित संपत्तियों के प्रबंधन की बहाली या कब्जे की बहाली की आवश्यकता होती है, यह आदेश द्वारा, -

(ए) सुरक्षित लेनदार द्वारा उठाए गए धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक उपायों के सहारा को अमान्य घोषित करना; और

(बी) उधारकर्ता या ऐसे अन्य पीड़ित व्यक्ति को, जिसने उप-धारा (1) के तहत आवेदन किया है, सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा या सुरक्षित संपत्तियों का प्रबंधन बहाल करना, जैसा भी मामला हो; और

(सी) धारा 13 की उपधारा (4) के तहत सुरक्षित ऋणदाता द्वारा लिए गए किसी भी सहारा के संबंध में ऐसा अन्य निर्देश पारित कर सकता है जो वह उचित और आवश्यक समझे।]

(4) यदि, ऋण वसूली न्यायाधिकरण धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत एक सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया गया सहारा इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार घोषित करता है, तो, किसी भी बात के बावजूद फिलहाल लागू अन्य कानून के तहत, सुरक्षित ऋणदाता अपने सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए धारा 13 की उपधारा (4) के तहत निर्दिष्ट एक या अधिक उपायों का सहारा लेने का पात्र होगा।

[(4क) जहाँ-

(i) कोई भी व्यक्ति, उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन में, मामले के तथ्यों और इसके संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करने के बाद, सुरक्षित संपत्ति, ऋण वसूली न्यायाधिकरण पर किसी किरायेदारी या पट्टे के अधिकार का दावा करता है। सुरक्षा हितों के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए दावों को यह जांचने का अधिकार क्षेत्र होगा कि क्या पट्टा या किरायेदारी, -

(क) समाप्त हो गया है या निर्धारित हो गया है; या

(ख) संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 65क के विपरीत है; या

(ग) बंधक की शर्तों के विपरीत है; या

(घ) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत बैंक द्वारा डिफ़ॉल्ट और मांग की सूचना जारी करने के बाद बनाया गया है; और

(ii) ऋण वसूली न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि सुरक्षित

संपत्ति में दावा किया गया किरायेदारी अधिकार या पट्टा अधिकार उप-खंड (क) या उप-खंड (ख) या उप-खंड (ग) या उप-खंड के अंतर्गत आता है। (घ) खंड (i) के, तो उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, ऋण वसूली न्यायाधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।]

(5) उप-धारा (1) के तहत किए गए किसी भी आवेदन को ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाएगा और ऐसे आवेदन की तारीख से साठ दिनों के भीतर निपटाया जाएगा:

बशर्ते कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, समय-समय पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से उक्त अवधि को बढ़ा सकता है, ताकि, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पास लंबित आवेदन की कुल अवधि उप-धारा (1) के तहत किए गए ऐसे आवेदन करने की तारीख से चार माह से अधिक न हो।

(6) यदि उपधारा (5) में निर्दिष्ट चार माह की अवधि के भीतर ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है, तो आवेदन का कोई भी भाग, ऐसे प्रारूप में, जो निर्धारित किया जा सकता है, आवेदन कर सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण को निर्देश दे सकता है और अपीलीय न्यायाधिकरण, ऐसे आवेदन पर, ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा लंबित आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए आदेश दे सकता है।

(7) इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जहां तक संभव हो, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) और उसके तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन का निपटान करेगा।)

35. इस अधिनियम के प्रावधान अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए हैं। *-इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे, भले ही उस समय लागू किसी भी अन्य कानून या ऐसे किसी कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी भी उपकरण में कोई असंगत बात हो।"*

7. प्रत्यर्थीगण ने कहा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) और 13(4) के तहत नोटिस के विरूद्ध रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, खासकर जब धारा 13(3क) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विधिवत विचार किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 17 के प्रावधानों को दरकिनार कर सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का प्रयास ***यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन एवं अन्य (2010) 8 एससीसी 110 में प्रकाशित; कन्हैया लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य ने (2011) 2 एससीसी 782 में प्रकाशित; फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम विश्व भारती विद्या मंदिर और अन्य ने 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 44*** में प्रकाशित मामले

में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध है।

8. प्रत्यर्थीगण ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार निर्णयों में यह कहा गया है कि:-

> *"यदि सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाती है और/या कोई प्रस्तावित कार्रवाई की जानी है और उधारकर्ता निजी बैंक/बैंक/एआरसी के किसी भी कार्य से व्यथित है, तो उधारकर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत उपाय का लाभ उठाना होगा और नहीं रिट याचिका झूठ होगी और/या विचारणीय और/या मनोरंजन योग्य है" और यह भी माना गया है कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद -226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष उधारकर्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।*

9. दूसरे, प्रत्यर्थीगण ने आपत्ति उठाई है कि याचिकाकर्ता ने स्वच्छ मन से माननीय न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है, जबकि उन्होंने रिट याचिका में स्वीकार किया है कि धारा 13(2) और 13(4) के तहत नोटिस कंसोर्टियम द्वारा जारी किए गए थे। पूल्ड म्युनिसिपल डेट्स ऑब्लिगेशन (पी.एम.डी.ओ.) की एक योजना में ऋणदाताओं अर्थात 15 कंसोर्टियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों की और याचिकाकर्ता को सुरक्षा ट्रस्टी के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 4 तैयार करके सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन कई वसूली कार्यवाहियों में शामिल होने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने पक्षकार नहीं बनाया है हालांकि, प्रार्थना उनके लिए आवश्यक पक्ष के रूप में की गई है। उक्त गलतबअर्थात के आलोक में, रिट याचिका केवल इसी आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थीगण ने ***उत्तर प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एक्शन कमेटी बनाम बी शीतल नंदवानी और अन्य ए.आई.आर. 1991 एससी 909*** में प्रकाशित में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।

10. अंत में, प्रत्यर्थीगण ने प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त योजना के तहत उक्त परियोजना की स्थापना के लिए कपड़ा मंत्रालय से 38.37 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था और पी.एम.डी.ओ. ने उन्हें मंजूरी के नियमों और शर्तों के अनुसार 51.6 करोड़ रुपये उधार दिए थे। पत्र, सुविधा और सुरक्षा समझौतों को विधिवत निष्पादित किया गया था, जिसे शीर्षक कार्यों के सुरक्षा कवर के तहत बंधक विलेख के अलावा सामान्य ऋण समझौते (सी.एल.ए.) और ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टी.आर.ए.) के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ता उक्त क्रेडिट सुविधा के लिए ब्याज चुकाने में विफल रहा है और 24.02.2012 को प्रश्नगत परियोजना को देखते हुए उक्त डिफ़ॉल्ट के कारण सावधि **ऋण**

सुविधा को रुपये की राशि में पुनर्गठित किया गया था। 20.31 करोड़ और इसे याचिकाकर्ता द्वारा 24.02.2012 को स्वीकार कर लिया गया था, याचिकाकर्ता द्वारा दायित्व की स्वीकृति द्वारा 28.12.2015 को इसकी पुष्टि की गई थी।

11. प्रत्यर्थीगण के कई अनुरोधों और संचार के बावजूद, 2012 से 2016 की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता फिर से पी.एम.डी.ओ. ऋणदाताओं के कारण किश्तों को चुकाने और ऋण लेखे को नियमित करने में विफल रहा है।

12. परिणामतः, याचिकाकर्ता की कार्रवाई को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 29.11.2016 को एनपीए घोषित किया गया था और अतः, सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही 31.05.2017 को रुपये की राशि के लिए जारी की गई थी। लगभग 19.24 करोड़. प्रत्यर्थीगण के अनुसार संपत्ति का बाजार मूल्य 50 करोड़ से अधिक है और कर्ज की वसूली के लिए पर्याप्त है।

13. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई कानून के अधिकार के बिना है और कपड़ा मंत्रालय/प्रत्यर्थी संख्या 1 से अनुमति लिए बिना है। उन्होंने सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई शुरू की है। प्रत्यर्थी संख्या 4 के पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत बैंक वसूली के नोटिस भेज रहे हैं और अतः उन्होंने रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता बैंकों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष मामले का बचाव कर रहा है, अतः, उन्होंने उन्हें आवश्यक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया है। गुणागुण के आधार पर, उनका कहना है कि यह सार्वजनिक महत्व की एक परियोजना है, जो एक निश्चित उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित है और अतः, कपड़ा मंत्रालय के हस्तक्षेप के बिना कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। *याचिकाकर्ता ने* ***यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन एवं अन्य (2010) 8 एससीसी 110; व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार, मुंबई और अन्य (1998) 8 एससीसी 1; शालिनी श्याम शेट्टी और अन्य बनाम राजेंद्र शंकर पाटिल (2010) 8 एससीसी 329; रमेश अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2012) 12 एससीसी 331; हरबंसलाल साहनिया एवं अन्य बनाम इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य (2002) 2 एससीसी 107; यूनिटेक लिमिटेड और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य औद्योगिक***

अवसंरचना निगम (टीएसआईआईसी) और अन्य (2021) 2 एससीजे 19 और आगे ***रैपिड मेट्रो रेल गुडगांव लिमिटेड आदि के मामले में 2021 की सिविल अपील संख्या 925-926*** *पर भरोसा किया।* ***हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य 26.03.2021*** *को निर्णित मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा जताया है।*

14. संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है, वह रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं के विरूद्ध रिट याचिका की स्थिरता है, अर्थात धारा 13 (2) के तहत नोटिस को अपास्त करने और 13(4) और सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही अपास्त करने के लिए। इस न्यायालय का विचार है कि सबसे पहले इस तथ्य के कारण कि ***सरफेसी अधिनियम,*** 2002 धारा 17 के तहत विशिष्ट उपाय निर्दिष्ट करता है और धारा 35 का अन्य कानूनों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है; दूसरे, ***यूनाइटेड बैंक बनाम*** *शीर्षक से दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में।* ***सत्यवती टंडन (सुप्रा.)*** *और* ***फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम विश्व भारती विद्या मंदिर (सुप्रा.)*** और अन्य में यह माना गया है कि बैंकों, सुरक्षित लेनदारों की बकाया राशि की वसूली से संबंधित मामलों में, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन से ऐसे संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अंततः राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। तीसरा, अनुच्छेद- 226 के तहत असाधारण शक्तियां बाध्यता का नियम नहीं है और सरफेसी अधिनियम, 2002 के मामलों में बहुत धीमा और सतर्क दृष्टिकोण अपनाना होगा और जब विशिष्ट उपाय उपलब्ध हो तो रिट न्यायालय को रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए। और अतः, रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

15. वर्तमान रिट याचिका भी सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्वच्छ मन से इस न्यायालय का रुख नहीं किया है और कंसोर्टियम बैंकों को एक आवश्यक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया है, हालांकि, उनकी कार्रवाई के विरूद्ध प्रार्थनाएं मांगी गई थीं। इस संबंध में ***उत्तर प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एक्शन कमेटी (सुप्रा.)***पर निर्भरता बनी हुई है। इसके अलावा, जैसाकि ***एस.पी. चेंगलवरैया नायडू (मृत) एल.आर.एस. द्वारा बनाम जगन्नाथ (मृत) एल.आर.एस. द्वारा और अन्य (1994) 1 एससीसी 1*** के मामले में

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दोहराया गया था, में बताया गया है, 'धोखाधड़ी-सभी न्यायिक कृत्यों, चर्च संबंधी या अस्थायी कृत्यों से बचा जाता है', वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

16. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बिना है और प्रत्यर्थी संख्या 1 अर्थात कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.03.2009 के विपरीत है, भी मान्य नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल एनपीए लेखे के विरूद्ध स्वीकृत दायित्व से बचना है। अनुलग्नक-16 में खंड 4 के अवलोकन पर, जो पत्र दिनांक 12.03.2019 है, कपड़ा मंत्रालय की मंजूरी केवल तभी आवश्यक है जब संपत्ति पूरी तरह या बड़े पैमाने पर सरकारी अनुदान से अर्जित की जाती है। मौजूदा मामले में, निवेश की देनदारी पी.एम.डी.ओ. बैंकरों की थी और सदस्यों की इक्विटी के विरुद्ध थी और माना जाता है कि पुनर्गठन वर्ष 2012 में किया गया था। इसके अलावा, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 35 के संदर्भ में एक अतिव्यापी प्रभाव है और कपड़ा मंत्रालय ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के बावजूद उसका उत्तर न देकर हस्तक्षेप के अनुरोध को ठुकरा दिया है।

17. याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क तकनीकी प्रकृति के हैं और मान्य नहीं हैं। याचिकाकर्ता न्यायालय को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और वैधानिक उपाय को दरकिनार करने, कानून की स्थापित स्थिति के विरूद्ध काम करने और व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ट्रेड मार्क्स, मुंबई एवं अन्य (1998) 8 एससीसी 1 निर्णयों पर भरोसा करने में सफल रहा है। व्यापार चिह्न या निविदा मामलों या सार्वजनिक हित के मामलों में प्रदान किए गए वैकल्पिक संव्यवहार के कारण, जबकि मामला सरफेसी अधिनियम, 2002 का है, जो एक विशेष कानून है जिसमें स्व-निहित प्रावधान और पद्यति और प्रक्रियाएं हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों की श्रृंखला में, विशेष रूप से ***यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन एवं अन्य (2010) 8 एससीसी 110*** में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

> *18. उपरोक्त विचार व्यक्त करते समय, हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को उचित मामलों में, किसी भी सरकार, निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, जिसमें पाँच विशेषाधिकार भी शामिल हैं। भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट बहुत व्यापक हैं और*

उस शक्ति के प्रयोग पर कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, लेकिन साथ ही, हम स्व-लगाए गए नियमों से अनभिज्ञ नहीं हो सकते हैं। इस न्यायालय द्वारा विकसित संयम, जिसे प्रत्येक उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय ध्यान में रखने के लिए बाध्य है। यह सच है कि वैकल्पिक संव्यवहार की समाप्ति का नियम विवेक का नियम है न कि मजबूरी का, लेकिन किसी भी कारण को समझना मुश्किल है कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका पर विचार क्यों करना चाहिए और इसे नजरअंदाज करते हुए अंतरिम आदेश पारित करना चाहिए। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता आवेदन, अपील, पुनरीक्षण आदि दायर करके प्रभावी वैकल्पिक उपाय का लाभ उठा सकता है और विशेष कानून में उसकी शिकायत के निवारण के लिए एक विस्तृत तंत्र शामिल है। यह याद रखना चाहिए कि करों, उपकर, शुल्क आदि की वसूली के लिए राज्य और/या उसकी एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर रोक सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं के निष्पादन में गंभीर रूप से बाधा डालती है और उन्हें उनके संवैधानिक और विधिक *दायित्वों का निर्वहन करने से अक्षम करती है। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सुरक्षित लेनदारों के बकाया की वसूली से संबंधित मामलों में, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन से ऐसे निकायों/संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो अंततः देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अतः, उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में स्थगन देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने में बेहद सावधान और सतर्क रहना चाहिए। बेशक, यदि याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम है कि उसका मामला बाबूराम प्रकाश चंद्र माहेश्वरी बनाम अंतरिम जिला परिषद मनु/एससी/0399/1968: ए.आई.आर. 1969 एससी 556में दिए गए किसी भी अपवाद के अंतर्गत आता है; व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार, मुंबई मनु/एससी/0664/1998: (1998) 8 एससीसी 1 और हरबंसलाल साहनिया और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य मनु/एससी/1199/2002: (2003) 2 एससीसी 107और कुछ अन्य निर्णय, तो उच्च न्यायालय, सभी प्रासंगिक मापदंडों और सार्वजनिक हित पर विचार करने के बाद, उचित अंतरिम आदेश पारित कर सकता है।*

इन तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय का मानना है कि रिट याचिका गलत बयान अर्थात कंसोर्टियम बैंकों को आवश्यक पक्ष के रूप में शामिल नहीं करना और उनकी अनुपस्थिति में उनके विरूद्ध राहत की प्रार्थना करना, वैकल्पिक संव्यवहार का लाभ नहीं उठाना और दिनांक 01.06.2018 के आदेश के तहत एकपक्षीय स्थगन प्राप्त करके और हड़ताल के दौरान 18.07.2018 को न्यायालय को यह आभास देकर कि याचिकाकर्ता के कई सदस्य हैं जिन्होंने अपना पूरा बकाया भुगतान कर दिया है और समानांतर रूप से ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष मामले का बचाव किया, जिससे वे बकाया 20 करोड़

रुपये और उस पर ब्याज से भुगतान से बचने में सफल रहने पर न्यायालय को अंधेरे में रखने के कारण रुपये 2 लाख के जुर्माने के साथ अपास्त की जा सकती है।

19. उपरोक्त के प्रकाश में, रिट याचिका को 2 लाख रुपये की लागत के साथ अपास्त कर दिया जाता है, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 4 के पास आधा अर्थात 1 लाख रुपये जमा करना होगा और शेष आधा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष 60 दिनों की अवधि के भीतर जमा करना होगा।

20. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

CHETNA BEHRANI/19

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी.के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।